[Shri M. Satyanarayan Rao]

unemployment have you solved? Shri Samar Mukherjee was also mentioning about it. You have not solved this. Problem of unemployment is linked with big industries. If industries are there unemployment will be solved. We should not neglect these big industries also.

My last point is about rural development. Without land reforms there is not going to be any rural development. You are allocating crores of rupees. So many crores of rupees are going to the rural areas, but they will go to big landlords only. That is not going to solve unemployment problem, of which you are very very particular. That is why I say land reforms are very very important. I would like to emphasise this point. In your own interest and in the interest of the country unless this land reform scheme is implemented, unless the landless persons are given lands, there will be chaos in the country. 70 per cent of the people are dependent on agriculture. 79 per cent of the landless poor people are there. That is why this problem is very very severe and urgent. Please try to solve it.

Again I will request the Government and also the Planning Commission to see that they should revise this new dangerous policy about the railway lines. New lines are very much required for the backward regions.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Mr. Chairman, I congratulate the Government for having produced this bold document—Draft Five Year Plan of 1978—83 which has envisaged an outlay of Rs. 1,16,000 crores.

In this regard I would like to point out, while making an inaugural speech the Prime Minister has frankly stated that as there has been no consensus in the National Development Council, probably they will have to wait till November, till the Finance Commission submits its Report and the National Development Council meets again. So, I would like to know from the Government that from to-day till November of this year, are we to take that this will be a Plan holiday? Are they not going to implement any portion of the Plan as envisaged in the Draft Five Year Plan of 1978—83?

Now coming to the other point—the Prime Minister has been to my constituency on the 9th April, 1978. On behalf of the people of my constituency, I deem it a privilege to congratulate him.

MR. CHAIRMAN: You will resume discusison to-morrow.

Shri Ravindra Varma, Minister of Parliamentary Affairs and Labour has to present the Report of the Business Advisory Committee.

17.58 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SEVENTEENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): I beg to present the Seventeenth Report of the Business Advisory Committee.

HALF-AN DISCUSSION

ARTICLES SEIZED DURING SEARCH OF MOTI DOONGARI PALACE.

श्री राम नरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे लिखित प्रश्न सं० 3292 दिनांक 9-12-1977 और मौखिक प्रश्न सं० 641 दिनांक 7–4–1978 के जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिये हैं, दोनों उत्तरों में परस्पर विरोध है, साथ ही 5 और 10 जून, 1975 के छापे में मिले माल का ही 7 अप्रैल, 1978 के उत्तर में जिक्र है। 11-2-1975 के छापे में मिले माल का कोई

जिक्र नहीं है । इसलिये मैं आज इस चर्चा को उठाना चाहता हूं ।

मैंने अपने 9–12–1977 के प्रश्न में मंत्री महोदय से पूछा था—

क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) जयपुर में जयगढ़ और मोती डूंगरी आदि से मिले खजाने का जमा न कराने अथवा कम मात्रा में जमा कराने के क्या कारण हैं;

(ख) बाकी खजाना किस स्थान पर रखा गया है;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन-कौन से हैं; और

(घ) इस मामल में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया—

(क) से (घ). "छिपाये गये खजाने" का पता लगाने के लिए केवल जयगढ़ किले में ही खुदाई की गई थी। यह कार्य 1976 में जून से नवम्बर तक की अवधि में किया गया था.। उक्त खुदाई में कोई खजाना नहीं मिला ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने खुदाई की बात अपने प्रश्न में नहीं की थी । मैंने तो यह कहा था कि जयगढ़, मोती डूंगरी, आदि में मिले खजाने को, चाहे वह खुदाई से मिला हो या तलाशी से मिला हो, चाहे जैसे मिला हो, जहां से मिला हो, लेकिन जयगढ़ और मोतीडूंगरी में जो खजाना मिला, वह कहां है ? लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कह दिया कि कुछ नहीं मिला । प्रश्न अलग और जवाब अलग ।

मैंने अपने 7 अप्रैल, 1978 के प्रश्न में मंत्री जी से पूछा था—

क्या वित्त मंत्री जी ने निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे —

(क) मोती डूंगरी महल की तलाशी में बरामद वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और वे कितनी मात्रा में बरामद हुई;

(ख) इन वस्तुओं को किसने जमा किया तथा कहां पर; और

(ग) उनका कुल मूल्य कितना है ?

इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि ये-ये समान मिला ह ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं— मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो सामान मिला, उसका विवरण दे दिया—इस तरह से मुझे एक ही प्रश्न के दो जवाब मिले.। जब मैंने मंत्री जी से इसका जिक्र किया कि इन दोनों में से आप का कौन सा जवाब सही है, तो उन्होंने कहा कि दोनों जवाब सही हैं । मेरा यह कहना कि दोनों जवाब तो सही नहीं हो सकते । अगर पहला जवाब सही है तो फिर जब वह माल मिला, कहां रखा गया, कि। खजाने में जमा हुआ । दूसरे प्रश्न के उत्तर में तो उन्होंने कह दिया कि फलां फलां माल मिला और खजाने में जमा कर दिया गया, इस बीच में वह माल कहां रहा। मैं यही जानना चाहता हूं कि सारा माल किसकी कस्टडी में रहा, कहां रहा ? सभापति महोदय, मेरी सूचना तो यह है कि खजाना मिलने के बाद तीन दिन तक जयपुर से दिल्ली की सड़क को जाम कर दिया गया और उस बीच में माल ढोया जाता रहा, लेकिन कितना किसके घर गया— इसका पता नहीं है । मुझे तो ऐसा लगता

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

है कि इसमें जाल बट्टा किया गया है, जाल बट्टा करके इस खजाने को जमा किया गया है, आखिर कहीं-न-कहीं तो इसको रखा गया होगा । इसीलिए जब मंत्री जी ने पहला जवाब दिया, तो मैंने धर्मयुग की फाइलें सामने रख दीं, जिसमें वहां के माल और जेवरों की फोटो छपी थीं, तब उन्होंने मंजूर किया, बाद में मेरा वह प्रश्न लाटरी में नहीं आया ।

मैं यही जानता चाहता हूं कि बीच के दिनों में वह माल कहां रखा गया, किस के घर पर रहा या उसको छिपाने की बदनीयती थी, तो किसकी थी और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और इसमें लीपापोती क्यों की जा रही है, मंत्री जी के दोनों जवाबों में इतना अन्तर क्यों है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने अपने 9 दिसम्बर, 1977 और 7 अप्रैल, 1978 को दिये गये प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में यह आधा घंटे की चर्चा उठाई है । मैं इस सम्बन्ध में स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

जयपुर शहर में इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट और गोल्ड कन्ट्रोल अथारिटीज ने 11 फरवरी, 1975 से लेकर 13 जून, 1975 तक जयपुर राज घराने के अनेक स्थानों पर छापे डाले और तलाशियां लीं। छापे डाले और तलाशियां की, यह एक प्रसंग है । 1976 में जून, 1976 से नवम्बर, 1976 तक जयगढ किल की खुदाई का काम किया गया । इन्कम टैक्स विभाग और गोल्ड कन्ट्रोल अथारिटीज के द्वारा 11 फरवरी, 1975 से 13 जून, 1975 तक सर्वेज की गई और सीजर्स किए गए जयपुर राज घराने के अनेक स्थानों पर और ब स्थान कुल मिलाकर 8 होते है जिनमें से 3 दिल्ली में और 5 जयपुर में हैं। इन पांचों में एक दूसरा राम बाग पैलेस है, दूसरा राजमहल पैलस है, तीसरा मोती डूंगरी पैलस है, चौथा सिविल लाइन्स पैलेस और पांचवां सिटी पैलेस है । इन पांच स्थानों पर फरवरी, से लेकर जून 1975 तक के दौर में तलाशियां ली गई और तीन स्थान जो दिल्ली में हैं, जिनमें से दो में कर्नल भवानी सिंह जी की पत्नी श्रीमती पदमनी रहती हैं, वे है और एक वह है जिसमें कर्नल भवानी सिंह जी रहते हैं । इस प्रकार से कुल जी सर्वेज और सीजर्स हुये है, जो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट और गोल्ड कन्ट्रोल अथारिटीज न किये हैं, वे इन आठ स्थानों पर किये है सन 1975 में । यह एक प्रसंग है और जो खुदाई का काम किया गया, वह जून, 1976 से लकर नवम्बर, 1976 तक किया गया और वह एक अलग प्रसंग है, जिसमें जयगढ़ किल का सवाल खड़ा होता है। तो जहां तक टेजर्स का सम्बन्ध है, खजाने की खुदाई का सम्बन्ध है, वह सम्बध जयगढ़ के किल से जहां और तक सर्वेज और सीजर्स का सवाल है, वह मामला इन बाकी आठ स्थानों का है, जो कि सन् 1975 में किये गये थे। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था और जिसका उत्तर दिसम्बर, 1977 में दिया गया था, उसमें शब्द जो प्रयोग किया गया था वह खजाने की खुदाई से सम्बन्धित था । इसलिए जयगढ़ फोर्ट में कुछ नहीं मिला, यह उत्तर दे दिया गया और क्योंकि मोती-डूंगरी पलेस में कोई खुदाई नहीं की गई थी, इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया गया और इसलिए भ्रम पैदा हो गया। 7 अप्रैल, 1978 को जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, उसमें मोती डूंगरी पैलेस में क्या मिला, इसके बारे में स्पेसीफिक सवाल था । मोती

डूंगरी पलेस में तलाशी में और सीजर्स में, जो इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट और गोल्ड कन्ट्रोल अथारिटीज ने की थी 11 फरवरी, 1975 और 13 जून, 1975 के बीच में, जो सामान बरामद हुआ था, उसके बारे में सूचना यहां दी गई थी । मैं इस सम्बन्ध में सदन की जानकारी के लिए और इस सम्बन्ध में कोई भ्रम न हो, माननीय सदस्य की जानकारी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर राज घराने से, जहां तक जयगढ़ फोर्ट का सवाल है और जिसमें खुदाई का काम जून, 1976 से नवम्बर, 1976 तक हुआ था, इस सम्बन्ध में एक एग्रीमेंट भारत सरकार और कर्नल भवानी सिंह के बीच में हुआ था और वह एग्रीमेंट हुआ 22 मई, 1976 को जिस के अन्तर्गत यह तय किया गया था कि खुदाई का काम जयगढ़ फोर्ट में किया जाएगा और यह जो काम किया जाएगा इसमें जो कुछ भी माल और खजाना मिलेगा, उस में से 12 आना भारत सरकार का होगा और 4 आना कर्नल भवानी सिंह का होगा और खुदाई का सारा खर्चा भारत सरकार को देना होगा और उसमें कुछ और शर्तें भी थीं और अगर सदन चाहेगा और आपका आदेश होगा तो उस एग्रीमेंट की एक कापी मैं सदन की मेज पर रख सकता हूं । वह 22 मई, 1976 का एग्रीमेंट था जो कर्नल भवानी सिंह जी और भारत सरकार के बीच में हुआ था और उस सम्बन्ध में 27 दिसम्बर, 1976 को जो उस समय के डाइरेक्टर आफ इन्वेस्टीगेशन श्री हरिहर लाल थे, उन्होंने 27 दिसम्बर, 1976 को फाइनल रिपोर्ट श्री एस० आर० मेहता, चेअरमैन, डायरेक्ट टैक्सिज बोर्ड को प्रस्तुत कर दी जिसमें कहा गया है कि सारी खुदाई की गयी और इस प्रकार की गयी, चार तालाब थे, पक्के तालाब थे, डेढ़ डेढ़ सौ फीट लम्बे थे, पानी खाली किया गया, सब कुछ करने के बाद नीचे पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद कुछ नहीं मिला । इस तरह से इस फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक जयगढ़ की खुदाई में कुछ भी नहीं मिला है । यह रिपोर्ट 27 दिसम्बर, 1976 को हरिहरलाल जी ने डायरेक्ट टैक्सिज बोर्ड के चेअरमैन को पेश की थी ।

जहां तक जयगढ़ खजाने का सवाल है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार के पास जो रिपोर्ट उपलब्ध है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष है कि जयगढ़ के खजाने की खुदाई में भारत सरकार को कुछ नहीं मिला है । इस पर ढाई-तीन लाख रुपया खर्च करने के बाद यह प्रसंग समाप्त हो गया है । अब इस सम्बन्ध में धर्मयुग में क्या निकला, आपने और हमने जेलों में क्या सुना, वे सब बातें सुनी सुनाई बातें हैं, व्यक्तिगत बातें हैं । जहां तक सड़क जाम होने का सवाल है और दूसरी आलोचनाओं का सवाल है, उस सब की जानकारी हमारे पास तो नहीं है । जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर सरकार को जयगढ़ खजाने से कुछ नहीं मिला है ।

अब प्रश्न 1975 के सीजर्स और सर्चिज का है । इसके सम्बन्ध में मैं मोटे तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि जो माल गोल्ड कंट्रोल अथारिटीज और इंकम टैक्स अथारिटीज को मिला, उसके बारे में मैं अप्रोक्सिमेटली फिगर्स दे रहा हूं । 4 करोड़ 90 लाख रुपये का माल गोल्ड कंट्रोल अथारिटीज को मिला और अप्रोक्सिमेटली 4 करोड़ 90 लाख रुपये का ही माल इनकम टैक्स अथारिटीज को मिला । गोल्ड कंट्रोलर जो जयपुर में है अर्थात जयपुर के कलेक्टर ने उसका एडजुडिकेशन किया । इनकम टैक्स अथारिटी ने भी लगभग 490 लाख रुपये का माल पकड़ा । उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से कार्यवाही चल रही है । गोल्ड कंट्रोल का एडजुडिकेशन कलेक्टर कर चुका है और फैसला कर चुका है और 490 लाख

[श्री सतीश अग्रवाल]

रुपये के मुकाबले में जयपुर के कलेक्टर ने इस सारे गोल्ड को कंसफिस्केट किया है। इसके छोड़ने के लिए उसने कर्नल भवानी सिंह पर डेढ़ करोड़ रुपये का रिडेम्पशन फाइन लगाया और कहा कि यह जमा कराया जाएगा तो इसे छोड़ा जा सकता है। उसने पांच लाख रुपये की परसनल पैनल्टी भी लगायी। इसके फैसल के खिलाफ कर्नल भवानी सिंह ने गोल्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपील की है जो कि अभी पेंडिंग है। इसलिए इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस दौरान उन्होंने सारे गोल्ड को बैंक में जमा करा दिया है और जमा कराने के बाद जो हमारी लाएब्लिटी थी, उसको पे करने के लिए उन्होंने उसका डिस्पोजल किया। जो गोल्ड उन्होंने बेचा वह पंजाब नेशनल बैंक, जयपुर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सलाह से— गोल्ड इंक्लुडिंग रिवेट्स आफ एन्टीक्स एण्ड गोल्ड कोइंस लगभग 895 के०जी० बेचा है। कर्नल भवानी सिंह जी की तरफ से बैंक ने 5 करोड़, 71 लाख 25 हजार, 172 रुपये का यह गोल्ड बेचा और इस पैसे में से इनकम टैक्स एरियर्स, वैल्थ टैक्स एरियर्स, गिफ्ट टैक्स एरियर्स और एस्टेट ड्यूटी की जो लाएब्लिटी कर्नल भवानी सिंह की तरफ थी, उसका 2 करोड़, 98 लाख रुपया उनसे वसूल हो गया। रिडीम्ड फाइन का रुपया वसूल हो गया और पांच लाख रुपये की परसनल पैनल्टी वसूल हो गयी। इन्ट्रेस्ट आन लोंस एण्ड गारण्टी कमीशन रिटेंस बाई दि बैंक का 12 लाख रुपया चला गया और बैंक के जो मिसलेनियस चार्जेज थे, उसका 2 लाख रुपया चला गया। इस तरह से चार करोड़ रुपये का डिस्पोजल इस रकम में से हो गया। बाकी जो डेढ़ करोड़ रुपये की राशि है जो कि गोल्ड के अगेंस्ट में बैंक के पास है उसमें से अभी पेमेंट होनी है। 26 लाख रुपया हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बकाया है जो कि डिस्प्यूटिड है, वह वसूल होना है। उसके बारे में भी कार्यवाही चल रही है।

जहां तक सीजर्स का सवाल है कि कितना हुआ और क्या कुछ हुआ, इस सम्बन्ध में मैं सदस्यों की जानकारी के लिए एक छोटा सा आन्सर और साथ में दो अनेक्सर लगा कर सभा की मेज पर रख देता हूं [*Placed in Library. See* No. LT-2230/78]. जिसमें लिखा हुआ है कि गोल्ड कंट्रोल अथारिटीज ने जो सीजर्स किये वे मोतीडूगरी पेलेस, रामबाग पेलेस, राजमहल पेलेस इन तीन जगहों पर किये और इनमें जो माल मिला वह 4 करोड़ 90 लाख रुपये का है। लगभग इतनी राशि का माल बरामद हुआ है। दूसरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली में तीन स्थानों पर और पांच स्थानों पर जयपुर में सर्चिज किये। उनमें भी कुल मिला कर 4 करोड़ 90 लाख रुपये के लगभग का माल बरामद हुआ। इस प्रश्न के संदर्भ में जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं उस में जो थोड़ा बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ है वह इस वजह से हुआ है कि ट्रेजरी एंड ट्रोव एक्ट अलग बना हुआ है और इसके अन्तर्गत कारंवाई अलग प्रकार से होती है। इसलिए पहले जो प्रश्न का उत्तर दिया गया जिस में यह लिखा था कि मोती डूंगरी में कुछ नहीं मिला वहां खजाने की खुदाई नहीं हुई इसलिए उन्होंने जयगढ़ फोर्ट के बारे में जवाब दिया और मोती डूंगरी के बारे में कुछ उत्तर नहीं दिया। दूसरा प्रश्न मोती डूंगरी के बारे में पूछा था तो उसके बारे में आंशिक जानकारी दे दी थी। दोनों प्रश्नों की पूरी जानकारी जो मिली है वह आज मैं दे रहा हूं कि मोती डूंगरी के अतिरिक्त जो अनेक स्थानों पर सीजर और सर्चिज हुए हैं उनमें टोटल, कुल मिलाकर 9 करोड़ 90 लाख के लगभग सारा माल मिला है गोल्ड कंट्रोल और इनकम टैक्स अथोरिटी की सर्च में बरामद हुआ है। पूरा विवरण मैंने दिया है। मैं एनक्सचर 1

और 2 सदन की मेज पर रख देता हूं। और डाकुमेंट्स की आवश्यकता है तो वह भी सदन की जानकारी के लिए देने के लिए तैयार हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मंत्री महोदय के उत्तर से स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है, सरकार की स्थिति भी सारी उन्होंने साफ कर दी है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं इतनी जानकारी चाहता हूं कि जो माल सीज किया गया उसकी नियमानुसार तत्काल घोषणा क्यों नही की गई, इसका क्या कारण था। आजकल तत्काल इस तरह की चीजों की घोषणा कर दी जाती है। तब क्या खास कारण थे कि इसकी घोषणा नही की गई और यह नही बताया गया कि कहां कहां से कितने कितने का माल मिला है ?

सदस्यों में और सारे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि वहां से जो माल खुदाई में मिला है और जयगढ़ के बारे में कहा जाता है कि कुछ नही मिला, लेकिन मिला था और ट्रकों से लाया गया है इस चीज को भी आप को साफ करना चाहिये ताकि सन्देह की गुंजाइश न रह जाए। जो खुदाई की गई है उस समय कितनी एजंसीज वहां मौजूद थीं और किन किन की मौजूदगी में यह खुदाई की गई थीं ? इसका भी साफ साफ खुलासा होना चाहिये ताकि भ्रम जो फैला हुआ है, वह दूर हो।

कहा जाता है कि जो माल पकड़ा गया है वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री के कब्जे में रहा है। यह चर्चा का विषय है। कहां तक यह बात सही है मैं नही कह सकता हूं। लेकिन काफी माल वहां से भेजा गया है और इनको भेजने में कुछ लोगों का हाथ भी बताया जाता है। इसकी चर्चा भी हो चुकी है। प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जो डाकुमेंट्स मिले हैं उसी के आधार पर आप कह रहे हैं कि यह इतना माल है। लेकिन अभी भी बहुत से डाकुमेंटस गायब बताए जाते हैं। जो आपके सामने लाए गए हैं उनके अलावा भी कुछ आपके सामने चीजें नहीं लाई गई हैं। क्या आप सदन को आश्वासन देंगे इसके बारे में ताकि सदन में जो सन्देह का वातावरण है, लोगों के मन में जो सन्देह है वह दूर हो ? हेराफेरी भी क्या डाकुमेंट्स में हुई थी इसका आपको पता है ? अगर इसके बारे में आप अभी नहीं बता सकते तो क्या देख करके और अध्ययन करके आप सदन को इसके बारे में जानकारी देंगे ताकि स्थिति साफ हो जाए ? आपने कहा है कि आपने स्थिति साफ कर दी है लेकिन कुछ जो सन्देह हैं उनका भी अगर निराकरण हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और यह सन्देह डाकुमेंट्स के सम्बन्ध में है।

श्री सतीश अग्रवाल : सर्चिज और सीजर्ज के सम्बन्ध में तत्काल घोषणा न किए जाने का जहां तक सम्बन्ध है मैं कुछ नही कह सकता हूं। सामान्यतः जब इतने बड़े सीजर और सर्चिज होते हैं तो उनकी घोषणा पिछले साल से आप देख रहे होंगे कि तत्काल की जाती रही है। जो एसेट्स सीज किए गए, जो माल सीजर में आया वह सारे का सारा बैंक लाकर्ज में रखा गया और कुछ राजस्थान गवर्नमेंट की ट्रेजरी में रखा गया। इसके अलावा इस सम्बन्ध में मुझे कोई और जानकारी नही है। घोषणा उस समय क्यों नही की गई, गवर्नमेंट ने क्यों जरूरी समझा जब एमरजैंसी के बाद सारी चीजें हुई....

श्री हुकम चन्द कछवाय : तथ्यों का पता लगाएँगे कि क्यों नही की गई ?

श्री सतीश अग्रवाल : घोषणा क्यों नही की गई यह इतनी मैटीरियल बात नहीं है जितनी यह है कि जितना माल सर्च और सीजर में आया वह सारा बैंक लाकर्ज में रखा गया।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ (फरीदाबाद) : यह कैसे मालूम है ?

श्री सतीश अग्रवाल : रिकार्ड और रिपोर्ट मौजूद है ।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : उन लोगों के महारानी के, भवानी सिंह के......

श्री सतीश अग्रवाल : पंचनामा बनता है, सीजर भी बनता है और उन आदमियों के दस्तखत होते हैं ।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : एक आप लोगों का पंचनामा हो जाता है और जो उससे सम्बन्धित होते हैं उनका भी होता है ।

श्री सतीश अग्रवाल : उनकी तरफ से भी दस्तखत हैं । जयगढ़ की खुदाई में भी उनके आदमी 24 घंटे वहां रहे हैं । इसलिये वह तो प्रश्न नहीं है । सर्चेज और सीजर्स के सम्बन्ध में यह सर्चेज और सीजर्स की गई यह आर्टिकल्स मिले वहां, उनकी लिस्ट बनी, पंचनामा बनाया गया, दस्तखत किये गये और उसके बाद बैंक लोकर्स में रख दिये गये । सरकार के सामने कोई ऐसी शिकायत आज तक जयपुर राजघराने से या किसी से नहीं की है कि जितना माल हमारा बरामद किया गया वह पूरा माल हमें नहीं मिला है, या उसमें से कोई चीज गायब हो गई है । ऐसी शिकायत आज तक कोई नहीं आयी है । और जहां तक उस माल में से कुछ माल भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पास रहा और डोकूमेंट्स गायब किये गये यह प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, लेकिन जब जयगढ़ के खजाने में कुछ मिला ही नही तो मैं समझता हूं कि उनके पास तो कुछ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता । अगर कोई माननीय सदस्य के पास जानकारी हो और प्राइमाफेशी सरकार को अगर लगेगा कि सारे मामले में कोई बगलिंग हुआ है, आज तक प्राइमाफेशी सरकार को नही लगता है कि कोई बगलिंग है, लेकिन अगर कोई विशेष जानकारी माननीय सदस्य के पास है और अगर सरकार प्राइमाफेशी सेटिसफाई होगी कोई डोकुमेंट्स या ऐवीडेंस आयेगी तो फिर निश्चित रूप से उसके सम्बन्ध में जांच करायेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो खुदाई की गई उस समय कौन-कौन सी एजेन्सीज वहां पर मौजूद थीं ? यह जो भ्रम फैला हुआ है सारे देश के अन्दर........

MR. CHAIRMAN: You have already put the question.

श्री सतीश अग्रवाल : खुदाई के सम्बन्ध में जो डिपार्टमेंटस संबंधित थे वह थे :

National Geo-Physical Research Institute, Hyderabad, Engineering Corps. of the Army, Central Public Works Department, Archaeological Survey of India, Directorate of Inspections, Income-Tax and Department of Culture, Ministry of Education.

(व्यवधान)

जयगढ़ खजाने की खुदाई इसीलिये की गई थी, आपने जो पूछा क्योंकि जिस समय मोती डुंगरी पैलेस, सिटी पैलेस, राजमहल, राम बाग पैलेस की सर्चेज और सीजर्स हुए उस समय एक बीजक मिला जिसमें कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ था, 250 वर्ष पूर्व सवाई जयसिंह के जमाने में जयगढ़ किले को विजयगढ़ कहते थे, उस जयगढ़ के किले में चार तालाब बने हुए हैं जो 150—150 फीट के लम्बे हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है, उनके नीचे कई दरवाजे हैं, कई तहखाने हैं और वहां माल रखा हुआ है । उस बीजक

के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की गई डिपार्टमेंट्स को भेजा गया इसकी सत्यता के बारे, प्रमाणिक करने के बारे में जानकारी हासिल की गई। और अन्त में सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें जानकारी दी गई है कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का खजाना वहां है, और बीजक में 250 साल पुरानी बात का जिक्र है, उस समय के 100 करोड़ आज तो पता नहीं शायद 10,000 करोड़ रु० के बराबर होंगे, इसलिये बीजक मे उस समय की सरकार को लगा कि इस बीजक की सत्यता को मानते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि यह खुदाई कराना ठीक होगा। 10. 5 लाख रु० खर्च भी हो जाय तो कोई बात नही है, अगर 10,000 करोड़ रुपये का खजाना मिल जाये तो बहुत अच्छा हो जायेगा। शायद इस आधार पर उस समय की सरकार ने फैसला किया।

श्री राम नरेश कुशवाह (सलेमपुर) : 11 फरवरी, 1975 को जो सीजर्स हुए थे..

MR. CHAIRMAN: You have already put the question.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति जी, आम चर्चा का विषय है कि काफी माल भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा मारीशस भेजा गया। यह समाचार-पत्रों में भी आया है और इस सदन में चर्चा भी हुई है। तो इस सम्बन्ध में मंत्री जी जरा खुलासा करें।

श्री सतीश अग्रवाल : सभापति महोदय, 11 फरवरी, 1975 को जो विवरण मैंने सभा पटल पर रखा है उसमें गोल्ड कंट्रोल अथौरिटीज ने किसी प्रकार का कोई सीजर जयपुर अथवा दिल्ली में नहीं किया। 11 फरवरी 1975 को जो तलाशियां ली गई वह केवल नई दिल्ली स्थित श्रीमती पदमिनी, पत्नी श्री भवानी सिंह के दो मकानों पर जो एक शांति निकेतन, नई दिल्ली में है और दूसरा हैले रोड, नई दिल्ली में है तथा श्री कर्नल भवानी सिंह जी के 33, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली, इन तीन स्थानों पर नई दिल्ली में 11 फरवरी, 1975 को सीजर हुआ है। बाकी किसी स्थान पर 11 फरवरी, 1975 को कोई सीजर नहीं हुआ है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का उत्तर नही आया है। समाचार-पत्रों में है कि मारीशस भेजा गया। उस चीज का खुलासा कर दें।

SHRI SATISH AGRAWAL: No more questions?

MR. CHAIRMAN: You have already answered. Now, the House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18.24 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 4, 1978/Vaisakha 14, 1900 (Saka)

GMGIPND—L—931 LS 6-7-78—800.